



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4186

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44677 वर्ष 2025

विपिन विश्वकर्मा एवं अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अश्वनी कुमार पाठक

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., राजीव कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. श्री अश्वनी कुमार पाठक, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण की ओर से, श्री राजीव कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता की ओर से, तथा श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से की सुनवाई की गई एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।
3. आवेदकगण, मुकदमा अपराध संख्या 541 वर्ष 2025, धाराएँ 191(2), 109, 117(2), 131, 351(2), 103(1), 115(2), 352 बी.एन.एस., थाना सहजनवाँ, जिला गोरखपुर, के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहते हैं।
4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त जितेन्द्र विश्वकर्मा को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2025 को आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 10228 वर्ष 2025 में पारित आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण दिनांक 12.10.2025 से जेल में निरुद्ध हैं। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि चूँकि आवेदकगण की भूमिकाएँ उस सह-अभियुक्त के समान हैं जिसे पहले ही जमानत पर रिहा



किया जा चुका है, वे भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने के अधिकारी हैं। यदि आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

5. जमानत की प्रार्थना का विद्वान सूचनाकर्ता के अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा कड़ा विरोध किया गया। तथापि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू को उनके द्वारा विवादित नहीं किया गया।
6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नब्बन खां बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 आपराधिक एल.जे. 938** में पारित निर्णय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा **पारस राम विष्णोई बनाम निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021** तथा **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन समानता के आधार पर **स्वीकार** किया जाता है।
7. आवेदकगण - **विपिन विश्वकर्मा पुत्र रामप्रकाश विश्वकर्मा और विपिन विश्वकर्मा पुत्र छोटे लाल विश्वकर्मा**, जो उपर्युक्त अपराध प्रकरण में संलिप्त हैं, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा प्रत्येक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये।
 - (i) आवेदकगण विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
 - (ii) आवेदकगण अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं लायेंगे/उन्हें भयभीत नहीं करेंगे।
 - (iii) आवेदकगण विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होंगे।
8. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकगण को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

8 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।